

प्ररूप. चि.-सी
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999
प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45(1) के अधीन खोज और प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
[संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाय]

1	आवेदक	
	प्रदत्त फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें)
	नाम:*	
	व्यापार नाम	
	पता:*	
		(राज्य) (देश)
	[यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	सेवार्थ पता:	
		(राज्य) (देश)
	[(क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।	
	[(ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:*	
	आवेदक की प्रकृति	
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
1. प्रकृत व्यक्ति-एकल स्वत्वधारी, 2. प्रकृत व्यक्ति – भागीदारी 2. फर्म, 3. प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी सहित निकाय-इनकारपोरेट, 4. सीमित देयता साझेदारी, 5. सोसायटी, 6. न्यास, 7. सरकारी विभाग, 8. कानूनी संगठन, 9. कोई अन्य]		
2	आवेदक के अभिकर्ता (यदि कोई हो)	
	नाम:	
	पता	
	मोबाइल नं.:	
	ई-मेल का पता:	
	अभिकर्ता की प्रकृति	
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
	1. रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता, 2. अधिवक्ता, 3. मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]	
	रजिस्ट्रेशन नं.	
	अभिकर्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।	
3	त्वरित (हाँ/ना)	
	चित्र/लेबल के लिए जगह	
4	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का व्यौरा	

	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
5	संलग्न दस्तावेज की सूची	

और के व्याकरण अभिप्रेत फीस ना		न के संदर्भ में वेदक जो लि
ना:		(देश)
मोबाइल ई-मेल		य स्थान
[(क) अन्यथा, होने प क का होगा		य स्थान
मोबाइल न.: ई-मेल का पता*:		आवश्यक दिया
2	आवेदक या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/विरोधकता/पु नाम*: पता मोबाइल न. *:	जसा भी संदर्भ हो, (यदि कोई
ई-मेल का पता*:		
अभिकर्ता की प्रकृति		
[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें- 1. रजिस्ट्रीकृत व्यापार बिहन अभिकर्ता, 2. अधिवक्ता, 3. मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]		
रजिस्ट्रीकरण संख्या:		
अभिकर्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।		